

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर

लगातार प्रत्येक संबद्धता के काम हो रही है जो जीवाजी विश्वविद्यालय के काम हो रही है। अन्य प्राचिकानी के लाभ हो। सम्बद्धता विषय पर प्रति पूर्ण ने प्रभु एवं उपराज द्वारा सो तो एवं क्रमानक एवं विवाक अवश्य लिखा जावे जिससे दृष्टिकोण हो।



माम : जीवाजी
दूरध्वाज : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

न्यालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5149

दिनांक: 30/07/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर से सम्बद्ध संघोगी मानसिंह कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, कोटेश्वर गोड, न्यालियर (0751-6537611) को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संवालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निकानुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

जी.वि.वि., न्यालियर।

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जी.वि.वि., न्यालियर।

(हिंदोजक)

(0751-2442603)

(2) प्रो. डी.एन. गोरखामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

(3) प्रो. विवेक दापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., न्यालियर।

विरीक्षण समिति के दादर्शों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, गांधिंशु शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनुमतिप्राप्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आठिनेस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉक की लियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। गहाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति संघोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विरीक्षण करायें। समिति संघोजक द्वे विवेदक हैं कि वे उक्त विधारित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 01 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व विरीक्षण समिति / संघोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दैरी के लिए नहाविद्यालय खबरं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि नहाविद्यालय 03 माह में विरीक्षण बही कराता है तो समिति खबरं जारी करें। उक्त विरीक्षण का योग्यता ही विरीक्षण समिति का पुर्बगठन किया जावेगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता आमा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय दातात्यक पञ्चाली लेकर जावेगे तथा भावाविद्यालय की वस्तुरिति से विरीक्षण समिति को अवगत करायें। विरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानव नहाविद्यालय द्वारा देय होगा।

3 मई 13
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित नहाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि दानिति के संघोजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण दिनांक विधारित कर नहाविद्यालय का विरीक्षण करायें। उक्त विरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतेपुढ़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, न्यालियर


उप. कुलसचिव (सम्बद्धता)